राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1587/2012/भीलवाडा

मैसर्स सुराणा बिल्डर्स, भीलवाडा .....अपीलार्थी

बनाम

1. वाणिज्यिक कर अधिकारी,
   वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, भीलवाडा
2. उपायुक्त (अपील्स), भीलवाडा। .....प्रत्यर्थीगण

एकलपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित :

श्री एम.पी.शर्मा
अभिभाषक। .....अपीलार्थी की ओर से

श्री आर.के.अजमेरा
उप राजकीय अभिभाषक। .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक :04.10.2016

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, भीलवाडा (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित अपीलीय आदेश दिनांक 21.05.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जो अपील संख्या 35/वेट/2011–12 के संबंध में है जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, भीलवाडा (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 33 के तहत कर निर्धारण वर्ष 07–08 के लिये पारित संशोधन आदेश दिनांक 19.04.2011 के तहत सृजित मांग राशि 10,561/– की पुष्टि किये जाने को विवादित किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि व्यवसायी का मूल कर निर्धारण आदेश दिनांक 09.03.2010 को पारित किया गया था, जिसमें रू0 1,77,799/– की आवाकजावा ब्रिक्स कर मुक्त दर्शाकर संविदा कार्य में प्रयुक्त की गई। जिसको अपीलार्थी द्वारा कर मुक्त विक्रय ही दर्शा दिया गया था एवं तदनुरूप कर निर्धारण कर दिया गया था। परन्तु उक्त भूल ध्यान में आने पर सशक्त अधिकारी ने पुनः धारा 33 के तहत उक्त आदेश को दिनांक 19.04.2011 के आदेश द्वारा परिशोधित कर अधिनियम की सूची IV के अंतर्गत सभी प्रकार की ब्रिक्स पर 4 प्रतिशत कर देय मानते हुए इस पर लाभांश व परिवहन खर्चे जोडकर कुल राशि 195580/– पर कर 4 प्रतिशत की दर से 7823/– एवं 35 माह हेतु विलम्ब के लिये ब्याज 2738/– रू0 इस प्रकार कुल राशि 10,561/– रू0 सृजित की गई जिसके विरूद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उन्होंने प्रस्तुत अपील को आदेश दिनांक 21.05.2012 द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि संशोधन आदेश पारित करने से पूर्व उनको कोई नोटिस जारी नहीं किया गया जबकि कानूनन उनको सुनवाई का अवसर देने बाबत नोटिस दिया जाना अनिवार्य था किन्तु सशक्त अधिकारी द्वारा इसका पालन नहीं किया गया।

लगातार.....2

अपने तर्क को आगे बढाते हुए विद्वान अभिभाषक ने यह कथन किया कि प्रयुक्त ब्रिक्स में 25 प्रतिशत से अधिक राख मिली हुई है। अतः उक्त ब्रिक्स कर मुक्त थी जिसके समर्थन में उन्होंने बिल भी प्रस्तुत किये थे लेकिन सशक्त अधिकारी ने इन ब्रिक्स पर पूर्ण दर से करारापेण कर दिया गया एवं प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया गया।

5. अपीलार्थी विभाग की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि सशक्त अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधिनुकूल है अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण को प्रतिप्रेषित नहीं किया गया है बल्कि अस्वीकार किया गया है इसके साथ ही इन्होंने अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक के तर्को का विरोध करते हुए प्रस्तुत अपील को निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

6. उभयपक्षीय बहस एवं रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया। विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि का कथन है कि प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया है उक्त तथ्य रेकार्ड से असंगत पाया गया है बल्कि प्रकरण को अपीलीय अधिकारी द्वारा निरस्त किया गया है। इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि व्यवहारी को धारा 33 के तहत नोटिस दिया गया है, जो रेकार्ड पत्रावली के पृष्ठ संख्या 27 पर उपलब्ध है अतः व्यवहारी का यह कथन असंगत प्रतीत होता है कि उनको संशोधन से पूर्व नोटिस जारी नहीं किया गया था।

जहां तक सभी प्रकार की ब्रिक्स का प्रश्न है दिनांक 01.04.2006 से उक्त ब्रिक्स अधिनियम की अनुसूची IV के आइटम संख्या 4 के तहत तत्समय 4 प्रतिशत की दर से करयोग्य थी। जिसकी प्रविष्टि निम्न प्रकार से थी :–

S.No.	Description of Goods	Rate of Tax %	Conditions, if any
4	All kinds of bricks including fly ash bricks, refractory bricks and asphaltic roofing earthen tiles and refractory monolithic.	4	

7. इस प्रकार आवाकजावा ब्रिक्स पर 4 प्रतिशत की दर से कर देय था जिसको भूलवश करमुक्त मानकर कर से छूट दे दी गई थी अतः सशक्त अधिकारी ने भूल ध्यान में आने पर पुनः धारा 33 के तहत कार्यवाही की है जिसके लिये अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर भी दिया गया। अतएव आरोपित कर एवं तस्वरूप विलम्ब पर ब्याज आरोपण सर्वथा उचित है।

8. फलस्वरूप सशक्त अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की जाती है एवं अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय प्रसारित किया गया।

4.10.2016

(मदन लाल)
सदस्य